अध्याय X : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

10.1 निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ किए अनुबंध की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा निर्माण कार्यों के चरणबद्ध लक्ष्यों को उनकी प्राप्तियों के साथ जोड़े बिना रा.भ.नि.नि. को असामयिक रूप से भुगतान जारी किए गए। मार्च 2010 तथा मार्च 2011 के बीच रा.भ.नि.नि. को जारी कुल ₹88.11 करोड़ की राशि में से केवल ₹36.72 करोड़ का उपयोग किया गया था जिससे एक बड़ी धनराशि रा.भ.नि.नि. के पास अवरूद्ध पड़ी रही।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई स्थित फिल्म प्रभाग परिसर में राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय (रा.भा.सि.सं.) जिसे 2013 में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के दौरान जनता हेतु प्रवर्तन किया जाना प्रस्तावित था, का निर्माण करने की एक परियोजना प्रारंभ की (2010)। इस उद्देश्य के लिए फिल्म प्रभाग (फि.प्र.) ने टर्नकी आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ एक अनुबंध (मार्च 2010) किया। ₹101.20 करोड़ की अनुमानित लागत के इस कार्य को जून 2012 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था।

अनुबंध की धारा 7 के अनुसार, रा.भ.नि.नि. को परियोजना के सभी निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान किया जाना था तथा इसमें ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं आदि को अदा किये गये सभी भुगतान भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, रा.भ.नि.नि. को अनुबंध में विनिर्दिष्ट विभिन्न चरणों की समाप्ति पर भुगतान जारी किए जाने थे। रा.भा.नि.नि. को निधियों की आवश्यकता हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी तथा इन्वॉइस प्रस्तुत करते समय इसे यह प्रमाणित करना था कि इसने सारणी के अनुसार कार्य पूरा कर लिया था।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध की धारा 10 के अनुसार, रा.भ.नि.नि. को कार्य की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट चरणों के साथ भुगतान बिना जोड़े, रा.भ.नि.नि. को निधियां जारी की और न ही इसने भुगतान जारी करने से पहले कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, अनुबंध हस्ताक्षर किये जाने के समय भुगतान के सिवाए अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।

भुगतानों को जारी करने हेतु अनुबंध की शर्तों तथा उनकी गैर-अनुपालना निम्न तालिका में दिखाई गयी है:

भुगतान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	पूरे किये जाने वाले चरण	क्या अनुपालन की गई थी	अभ्युक्तियां
मार्च 2010	15.00	अनुबंध पर हस्ताक्षर करना	हाँ	करार में उल्लिखित भुगतान सारणी के अनुसार।
सितम्बर 2010	10.00	प्रारम्भिक आरेखनों का प्रस्तुतीकरण/कार्य आरम्भ करने हेतु स्थानीय निकायों से स्वीकृतियां	नहीं	रा.भा.नि.नि. ने मुंबई के यातायात प्राधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किये। अत: मंत्रालय द्वारा करार की धारा 6.2 का उल्लंघन हुआ।
मार्च 2011	19.00	प्रारम्भिक आरेखनों का प्रस्तुतीकरण/ कार्य आरम्भ करने हेतु स्थानीय निकायों से स्वीकृतियां, खुदाई/राफ्ट/नींव कार्य,	नहीं	मंत्रालय ने चरणों के समापन को सुनिश्चित किए बिना ₹19.00 करोड़ (दूसरे, तीसरे तथा पांचवे चरण हेतु ₹5.35 करोड़ +

भुगतान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	पूरे किये जाने वाले चरण	क्या अनुपालन की गई थी	अभ्युक्तियां
		तहखानों के अन्य निर्माण कार्य, गुलशन महल के भू-तल के उत्थान, मौजूदा भवनों के अगले हिस्सों के कार्य		₹4.87 करोड़ + ₹8.78 करोड़) जारी किए।
अक्तूबर 2011	44.11	इस निर्गम के लिए कोई भी शर्त निर्धारित नहीं थी। इसे संग्रहण अग्रिम तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय के भुगतान के रूप में जारी किया गया था।	नहीं	मंत्रालय ने यह प्रतिबद्धता पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित किए बिना राशि जारी की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका से अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति अगस्त 2013 में जाकर ही प्राप्त की गई थी। इस प्रकार मंत्रालय द्वारा अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने से पहले ही अनुमानित परियोजना लागत के 85 प्रतिशत से अधिक (₹101 करोड़ में से ₹88 करोड़) जारी कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि रा.भ.नि.नि. ₹88.11 करोड़ की जारी राशि में से दिसम्बर 2014 तक केवल ₹36.72 करोड़ का व्यय कर सका था जिससे मार्च 2010 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान विभिन्न अंतरालों हेतु बड़ी धनराशियों का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2015) कि चूंकि परियोजना को वर्ष 2013 में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष से पहले पूर्ण किया जाना था, इसलिए मंत्रालय ने फि.प्र. के माध्यम से रा.भ.नि.नि. को निधियां जारी करने से पूर्व रा.भ.सि.सं. के निर्माण के चरणबद्ध लक्ष्यों में ढील/संशोधन किया था। उसने यह भी बताया कि

रा.भ.नि.नि. ने रा.भा.सि.सं. परियोजना के लिए एक अलग बैंक खाता खोला था जिसमें बैंक का ब्याज भी जमा हो रहा था। संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रगति पर था तथा समापन की संशोधित समय सीमा के अनुसार, दिसम्बर 2015 तक संग्रहालय के निर्माण को पूर्ण कर उसकी सुपुर्दगी की जानी थी।

मंत्रालय का उत्तर कार्य की प्रगति के साथ भुगतानों के सामंजस्य के बिना निधियों के असामयिक निर्गम का समाधान नहीं करता है।

तथ्य यही है कि मंत्रालय रा.भ.नि.नि. को अग्रिम भुगतान को जारी करने से पूर्व अनुबंध के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिससे निधियां निष्फल पड़ी रहीं जबकि जनता हेतु राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्राहलय खोले जाने का अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण रहा।

प्रसार भारती

10.2 100 मी. एफ.एम. टावर के झुकाव को समय पर ठीक न करना इसके गिरने तथा परिणामस्वरूप ₹84.92 लाख का व्यय व्यर्थ रहने का कारण बना।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.एम. टावर, जो गारंटी अवधि के भीतर ही झुक गया था, को समय पर ठीक कराने हेतु इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर करार की शर्तें बाध्य करने में विफल रहा। टॉवर की मरम्म्त कराने हेतु दो वर्षों तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। अंतत: टावर ध्वस्त हो गया जिससे एंटीना तथा टावर खड़ा करने पर हुआ ₹84.92 लाख का व्यय निष्फल रहा।

अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग) (पूर्वी क्षेत्र), आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, प्रसार भारती, कोलकाता (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय) को चार पूर्वी राज्यों बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की योजनागत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय परियोजनाएं पूरी करने हेतु क्रिया-कलापों की निगरानी तथा समन्वय के लिए

उत्तरदायी है। आ.वा. नियम पुस्तिका[1] के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक परियोजना हेतु आकाशवाणी पूर्वी क्षेत्र से एक अधिष्ठापन अधिकारी (अ.अ.) चुना जाना है जो निर्माण कार्य के उचित माप तोल को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है।

महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली (म.नि.आ.वा.) ने कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में समीपवर्ती क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करने के लिए 10 कि.वा. एफ.एम. प्रसारण वाले एक रेडियो स्टेशन तथा स्टाफ आवास सुविधाओं की परियोजना को संस्वीकृति (अक्तूबर 2003) प्रदान की। उपकरण हेतु ₹2.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति म.नि.आ.वा. द्वारा जनवरी 2004 में प्रदान की गई थी। 100 मीटर स्वावलंबी एफ.एम. टावर की आपूर्ति, परिनिर्माण तथा चालू करने का कार्य जुलाई 2007 में ₹86.48 लाख की लागत पर इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (इ.सी.आई.एल.) को सौंपा जा सका क्योंकि इस उद्देश्य हेतु भूमि प्राप्त नहीं की जा सकी। निविदा की शर्तों के अनुसार, टावर के संस्थापन के 12 महीनों के भीतर इसमें हुए दोषों को ठीक करने हेतु इ.सी.आई.एल. प्रतिबद्ध था।

इ.सी.आई.एल. ने मार्च 2008 तक टावर हेतु सामग्रियों की आपूर्ति की, अप्रैल 2008 में टावर को खड़ा करना आरंभ किया तथा सितम्बर 2009 में इसे पूर्ण किया। टावर लगाने के लिए इ.सी.आई.एल. को नवम्बर 2009 तक ₹80.52 लाख की राशि अदा की गई। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को एंटीना के बिना टावर का कब्जा लेना पड़ा (सितम्बर 2009) क्योंकि म.नि.आ.वा., नई दिल्ली द्वारा इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकी। कब्जा लेते समय टावर की शीर्षता जांच इ.सी.आई.एल. के प्रतिनिधियों तथा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त अ.अ. द्वारा संयुक्त रूप से की गई। शीर्षता रीडिंग द्वारा 40 मीटर से ऊपर कुछ परिवर्तन दर्शाया गया। इसे स्वीकार्य सीमा के भीतर बताकर अ.अ. ने टावर को 'अच्छी स्थिति' में होना प्रमाणित किया। म.नि.आ.वा., नई दिल्ली द्वारा ₹4.40

[1] आकाशवाणी नियम पुस्तिका खण्ड । भाग -।।।

लाख की कीमत के एंटीना की आपूर्ति किए जाने के पश्चात्, मार्च 2010 में इसे टावर पर स्थापित किया गया।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बारह महीनों की गारंटी अवधि के भीतर अप्रैल 2010 में टावर के ऊपरी भाग में कुछ झुकाव पाया गया। उन्होंने टावर को और क्षति से बचाने के लिए दोष की मरम्मत करने हेतु इ.सी.आई.एल. को अनुरोध (मई 2010) किया। इ.सी.आई.एल. ने बार-बार स्मारकों के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात मार्च 2011 में, इ.सी.आई.एल. इस शर्त पर कार्य करने को तैयार हुआ कि एक कार्य आदेश जारी करके वित्तीय प्रतिपूर्ति का विस्तार किया जाये। तथापि, इ.सी.आई.एल. के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा टावर दो वर्षों तक झुकी हुई अवस्था में रहा। इसी बीच इ.सी.आई.एल. द्वारा सुरक्षा जमा राशि के रूप में प्रस्तुत ₹30.29 लाख की बैंक गारंटी भी अगस्त 2011 में समाप्त हो गई।

टावर अंतत: अप्रैल 2012 में ध्वस्त हो गया जिससे टावर तथा एंटीना बेकार हो गए। म.नि.आ.वा. ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के टावर को दोबारा खड़ा करने हेतु इ.सी.आई.एल. के साथ मामले को उठाया (जून 2012)। इ.सी.आई.एल. ने बताया (जून 2012) कि टावर को 169 कि.मी. प्रति घण्टा के पवन वेग को सहन करने के लिए डिजाईन किया गया था तथा टावर में प्रारम्भिक झुकाव डिजाईन की गई क्षमता से काफी अधिक वेग वाले तूफान के कारण हुआ था। टावर ध्वस्त होने का कारण भी इ.सी.आई.एल. द्वारा इसी प्रकार का भारी तूफान बताया गया था। तथापि, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सलाह लिए जाने पर जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता (जा.वि.) के संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभाग ने टावर के ध्वस्त होने की वजह 'प्रारम्भ में त्रुटिपूर्ण तथा उत्केन्द्रित टावर संरचना' को बताया (अक्तूबर 2012) जा.वि., कोलकाता के अनुसार "त्रुटिपूर्ण संरेखण के कारण स्थिरता मापदण्ड की कम क्षमता टावर की विफलता हेतु उत्तरदायी हो सकती है।" अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि जब टावर में झुकाव आया तथा जब टावर अंतत: ध्वस्त हुआ उस

समय कूचबिहार वेधशाला द्वारा दर्ज हवा की अधिकतम गति 10-20 कि.मी. प्रति घण्टा के बीच थी जो 169 कि.मी. प्रति घण्टा के पवन वेग को सहन करने की टावर की क्षमता से काफी कम थी।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (फरवरी 2015) कि चूंकि अधिष्ठापन अधिकारी ने टावर की शीर्षता सीमाओं के भीतर आंकी थी इसलिए टावर की त्रुटिपूर्णता तथा उत्केन्द्रण की ओर उसका ध्यान नहीं गया था। उन्होंने आगे बताया कि तूफान ने टावर के ध्वस्त होने में बाहरी आवेग के रूप में कार्य किया।

इस प्रकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गारंटी अवधि के भीतर झुक गये टावर को समय पर ठीक कराने हेतु इ.सी.आई.एल. पर करार की शर्तों को बाध्य करने में विफल रहा। उन्होंने झुकाव को ठीक कराने हेतु दो वर्षों तक कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। टावर के अंतत: ध्वस्त हो जाने से एंटीना तथा टावर लगाने पर किया गया ₹84.92 लाख का व्यय व्यर्थ हो गया।

मामला अक्तूबर 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।